न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

केम्प कोर्ट जानियाना

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 66 / 2020

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पचपदरा

1. मेहराराम, लिखमाराम, सुखाराम, बाबुराम पि0 लालाराम कौम जाट निवासी मूलजी की ढाणी
2. दुर्गाराम, अमराराम, शेराराम, लुम्बाराम पि0 मोडाराम कौम जाट नि0 मूलजी की ढाणी
3. सुखदेव, पुत्र हरकाराम कौम जाट निवासी मूलजी की ढाणी जानियाना
4. बांकाराम, नरसीगाराम पि. नवलाराम, रूकमों पत्नि नवलाराम कौम जाट निवासी मूलजी की ढाणी जानियाना
5. केहराराम, पुत्र सुरताराम
6. धमण्डाराम, पुत्र जैसाराम
7. भीयाराम, पुरखाराम, लाबुराम पि0 पदमाराम
8. पुरो देवी पत्नि पदमाराम कौम जाट सा. मूलजी की ढाणी जानियाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू–अभिलेख नियम 1970

दिनांक 12.10.2021

आदेश

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि / खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते / ग्रेवल सडक / डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम मूलजी की ढाणी से एक बाहमी रास्ता खसरा संख्या 127 / 49 से 144 / 55 तक वर्तमान में चल रहा है। ग्राम मूलजी की ढाणी के खसरा नम्बर 123 / 49, 125 / 49, 144 / 55, 126 / 49, 128 / 49, 129 / 49, 130 / 49, 127 / 49 भूमि में उक्त रास्ता चल रहा है, जिसका नजरी नक्शा प्रस्तुत [illegible] में किया गया है, ग्राम मूलजी की ढाणी से एक बाहमी रास्ता खसरा संख्या 127 [illegible] 144 / 55 तक बाहमी मार्ग रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:30 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के द्वारा नोटिस बाद जारी किया गया। तथा विप्रार्थीगण स 1ता 8 दिनांक 12.10.2021 को सरपंच ग्राम पंचायत जानियाना के द्वारा सम्बंधित खातेदारान को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट जानियाना मे उपस्थित होकर अपनी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गयें। जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत जानियाना, भू निरीक्षक कनाना उप तहसीलदार, जसोल द्वारा की गई है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट जानियाना मे प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के द्वारा हमनें पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रकार्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर ग्राम आदमपुरा से रा0उ0मा0वि0, दलाराम मेगवाल की ढाणी तक बाहमी मार्ग रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम मूलजी की ढाणी के खसरा नम्बर 123/49, 125/49, 144/55, 126/49, 128/49, 129/49, 130/49, 127/49 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा क्रमशः 1–03 बीघा, 1–18 बीघा, 1–09 बीघा, 1–05 बीघा, 0–15 बीघा, 0–19 बीघा, 0–09 बीघा, 0–11 बीघा, भूमि में उक्त रास्ता चल रहा है, भूमि रास्ते हेतु प्रभावित प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ता दरग लाल ..... मुताबिक तरमीम एवं शेष रही भूमियों का विवरण तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व रकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है , उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

(नरेश सोनी)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12.10.2021 को कोर्ट केम्प जानियाना में मजमें आम में सुनाया गया ।

भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:30 IST
Reason: SelfAttested